कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/निप्र/डी–I/22709/मैन/प्र.वा./2017–18/261 दिनांक : 09·02·18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक – प्रथम/द्वितीय

विषयः– दिनांक : 16–17 फरवरी, 2018 को आयोज्य सत्रः 2017–18 की सत्रान्त संस्था प्रधान वाक्पीठ के प्रभावी एवं सार्थक आयोजन बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिविरा पंचाग : 2017–18 में प्रदत्त निर्देशानुरूप सत्रान्त संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन दिनांक : 16–17 फरवरी, 2018 को किया जाना है। संस्था प्रधान वाक्पीठ जिला स्तर पर शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चिन्तन, मनन, विचार व्यक्त करने तथा तदनुसार प्राप्त नवाचारों एवं अनुभूत शैक्षिक–प्रशासनिक अनुभवों के आदान–प्रदान उपरान्त ज्वलंत शैक्षिक मुद्दों के सार्थक एवं सकारात्मक प्रबन्धन हेतु संस्था प्रधानों को तैयार करने का एक सुदृढ माध्यम एवं प्रभावशाली मंच है । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिलास्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जाता है । वाक्पीठ के प्रभावी एवं समन्वित संचालन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ तथा वाक्पीठ कार्यकारिणी की अहम् भूमिका होती है । उक्त क्रम में सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ के एजेण्डे में स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों के साथ विभिन्न ज्वलंत एवं सम–सामयिक शैक्षिक विषयों/मुद्दों पर सार्थक चर्चा/विशेषज्ञ वार्ता हेतु अग्रांकित बिन्दुओं एवं निर्देशित कार्यवाही को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. **<u>संस्था प्रधान द्वारा आवश्यक रूप से भागीदारी</u>** :– उक्त वाक्पीठ में समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान स्वयं भाग लेंगे। संस्था प्रधान का पद रिक्त होने की स्थिति में प्रभारी/कार्यवाहक संस्था प्रधान द्वारा भाग लिया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपने प्रतिनिधि को भागीदारी हेतु नामित किया जा सकता है।
2. **<u>विद्यालयों में " सखा संगम " कार्यक्रम का आयोजन</u>** :– विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय परिपत्र दिनांकः 17.04.2017 के निर्देशानुरूप "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन किया जाकर मंच के माध्यम से प्रतिवर्ष "सखा संगम" कार्यक्रम का आयोजन किए जाने बाबत स्थाई निर्देश प्रदत्त हैं। निदेशालय के निर्देश पत्र दिनांक : 09.02.2018 द्वारा अध्यापक–अभिभावक परिषद् (PTM) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (**SDMC**) की संयुक्त बैठक दिनांक : 15.02.2018 में जिन विद्यालयों में अब तक उक्त मंच का गठन नहीं किया गया है, उनके द्वारा आवश्यक रूप से इस बैठक के दौरान "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का गठन किया जाकर सत्रान्त से पूर्व विद्यालय में "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन की तिथि निर्धारित कर सूचना जिशिअ कार्यालय में भेजे जाने बाबत निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को वाकपीठ् के प्रथम दिवस विद्यालय में गठित "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" की कार्यकारिणी समिति की सूची आवश्यक रूप से अतिरिक्त जि.शि.अ. (शैक्षिक प्रकोष्ठ) को जमा करवाने हेतु पाबन्द करने की कार्यवाही सम्पादित करें। जिन विद्यालयों द्वारा इस सत्र में "सखा संगम" कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है, वाक्पीठ के दौरान उन संस्था प्रधानों से चर्चा उपरान्त जिले के शेष समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्रान्त से पूर्व "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन हेतु सुदृढ़ कार्य योजना निर्मित किए जाने की कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें। ध्यान रहे, समस्त विद्यालयों में "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के

www.rajteachers.com

गठन एवं "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन बाबत् विवरण की प्रविष्टि "शाला दर्पण पोर्टल" पर किए जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही प्रकियाधीन है।

3. **शासकीय निर्देशानुरूप लम्बित प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति की सुनिश्चितता** : इस कार्यालय के विभिन्न निर्देश पत्रों द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित किए जाने बाबत् निर्देश प्रदान किए गए हैं :–

   a) विद्यार्थियों के उपयोग हेतु विद्यालय भवन के प्रवेश कॉरिडोर में उपयुक्त स्थान पर दर्पण (Miror) लगाया जावे।
   b) विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ की जानकारी अभिभावकों एवं आम नागरिकों को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिये विद्यालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर कार्यरत संस्था प्रधान, समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कार्मिको के शैक्षणिक एवं संस्थापन विवरण सहित फोटो (हमारे शिक्षक/कार्मिक) लगवाए जावे।
   c) समस्त राजकीय विद्यालयों की सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
   d) "क्राउड फण्डिंग" के समुचित प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु विद्यालय में "अक्षय पेटिका" का संधारण किया जावे।

उक्त वाक्पीठ में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से उक्त चारों बिन्दुओं की कियन्विति विद्यालय में समुचित रूप से किए जाने बाबत् प्रमाण – पत्र प्राप्त कर जिले का समेकित प्रमाण–पत्र दिनांक : 19.02.2018 तक आवश्यक रूप से मण्डल उप निदेशक को प्रेषित किया जाएगा। समस्त मण्डल उप निदेशकों द्वारा मण्डल का समेकित कियान्विति प्रमाण–पत्र इस कार्यालय की ई–मेल **ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in** पर दिनांक : 23.02.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

4. **"शाला दर्पण पोर्टल" का नियमित रूप से अपडेशन** : वर्तमान में विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का संकलन "शाला दर्पण पोर्टल" के माध्यम से किया जा रहा है। उक्तानुरूप समस्त संस्था प्रधानों द्वारा "शाला दर्पण पोर्टल" का नियमित रूप से अवलोकन एवं अपडेशन आवश्यक है। निकट भविष्य में विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के तहत समस्त विद्यालयों में नामांकन के आधार पर पदों के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित होनी है । अतः वाक्पीठ में "शाला दर्पण पोर्टल" के नियमित अपडेशन बाबत् विज्ञजन की वार्ता/चर्चा आवश्यक रूप से करवाई जाए।

5. **बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु अभिनव कार्य योजना "प्रयास – 2018" की कियान्विति** : विभाग द्वारा कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु निर्मित अभिनव कार्य योजना "प्रयास–2018" में प्रदत्त निर्देशानुरूप (निर्देश पत्र दिनांक : 18.01.18) कियान्विति सुनिश्चित करवाए जाने हेतु वार्ता/चर्चा आयोजित करवाई जाकर सम्पूर्ण जिले के राजकीय विद्यालयों में शत–प्रतिशत परीक्षा परिणाम की सुनिश्चितता हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की कार्यवाही सम्पादित करवाई जाए।

6. **PEEO द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यो का समुचित निष्पादन** : वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों एवं शिक्षकों से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सम्पादन ग्राम पंचायत क्षेत्र की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान को दिया जाकर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) पदाभिहित किया गया है। विगत जनवरी माह से उक्त समस्त विद्यालयों एवं शिक्षकों के वेतन आहरण एवं भुगतान सम्बन्धी अधिकार PEEO को प्रदान किए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारियों के कार्यों एवं कर्त्तव्यों में वृद्धि हुई है। इस वाक्पीठ में उक्त महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित वार्ता /चर्चा सम्बन्धित विज्ञ अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा करवाई जानी सामयिक एवं समीचीन है ।

www.rajteachers.com

7. <u>आयकर अधिनियम की धारा 80 'G' के तहत कर मुक्त दान हेतु S.D.M.C का रजिस्ट्रेशन</u> :– इस कार्यालय के निर्देश पत्र दिनांक : 03.11.2016 द्वारा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राजस्थान सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958" के तहत पंजीकृत संस्था "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)" को अभिभावकों एवं भामाशाहों द्वारा प्राप्त होने वाली सहयोग राशि को "आयकर अधिनियम–1961" की धारा 80 'G' (5)(VI) के तहत कर मुक्त दान की स्वीकृति दिलवाए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 12 A (a) के अन्तर्गत संस्था के लिए निर्धारित फॉर्म नम्बर 10–ए में आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने बाबत निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त धारा 12 A (a)के तहत आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन पश्चात् निर्धारित फॉर्म नम्बर 10–जी में कर मुक्त दान प्राप्ति की पात्रता हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर को वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर उक्त समिति को सहयोग स्वरूप दान के रूप में दी जाने वाली राशि को दानदाता की कर योग्य आय में से नियमानुसार छूट की पात्रता मिल जाती है। विद्यालय की S.D.M.C द्वारा उक्त पात्रता हासिल करने पर विद्यालय को अभिभावकों एवं स्थानीय भामाशाहों से पर्याप्त मात्रा में सहायता राशि की प्राप्ति अपेक्षित है। शासन स्तर से राज्य की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के समस्त राजकीय विद्यालयों (कुल संख्या – 13686) में सत्रान्त तक उक्तानुरूप धारा 80 **'G'** में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सम्पादित कर लिए जाने की अपेक्षा प्रकट की गई है, परन्तु दिनांक : 08.02.2018 तक उक्त बाबत् प्रगति समीक्षा में निम्नांकित तथ्य सामने आए हैं : –

i) प्रदेश के मात्र 45 विद्यालयों को ही 80 **'G'** में पंजीयन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी हुआ है।
ii) कुल 695 विद्यालयों द्वारा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है।
iii) कुल 3911 विद्यालयों को पैन कार्ड जारी हो चुका है ।
iv) कुल 5682 विद्यालयों के द्वारा पैन कार्ड के लिए आवेदन किया गया है।
v) अभी भी कुल 92 विद्यालयों की S.D.M.C का सहकारिता विभाग में पंजीकरण नहीं हो पाया है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है।

आधे से अधिक जिलों (कुल 17) में एक भी विद्यालय का 80 **'G'** के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया है। उक्त समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही वांछनीय है । अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा वाक्पीठ आयोजन से पूर्व क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में S.D.M.C द्वारा 80 **'G'** के तहत पंजीयन एवं प्रमाण–पत्र प्राप्ति की कार्यवाही की वस्तुस्थिति एवं प्रगति रिपोर्ट का भली प्रकार आकलन कर वाक्पीठ में एक सम्पूर्ण सत्र का आयोजन उक्त कार्य में संस्था प्रधानों के समक्ष पेश आ रही कठिनाइयों/समस्याओं के व्यवहारिक समाधान/निराकरण हेतु करवाया जाए, जिसमें किसी भी स्तर पर 80 **'G'** के पंजीयन/प्रमाण–पत्र प्राप्ति में कठिनाई निवारण/शंका समाधान हेतु आयकर विभाग के सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों को आंमत्रित कर विशेषज्ञ वार्त्ता/प्रश्नोत्तर सत्र के साथ – साथ मौके पर ही अग्रांकित विवरणानुसार आवेदन पत्र पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

a) "शाला दर्पण" की सहायता से जिले के उन विद्यालयों को तत्काल चिन्हित किया जाए, जिनमें S.D.M.C का सहकारिता विभाग में पंजीकरण नहीं हो पाया है। ऐसे समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों से तत्काल रूप से सम्पर्क कायम करते हुए वाकपीठ् के दौरान ही "राजस्थान सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958" के अन्तर्गत तत्काल पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु आवेदन पत्र की पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
b) जिले के जिन विद्यालयों द्वारा अब तक पेन–कार्ड प्राप्त नहीं किया गया है, उन समस्त विद्यालयों से N.S.D.L. के माध्यम से आयकर प्राधिकारी के समक्ष S.D.M.C हेतु पेन–कार्ड के

www.rajteachers.com

लिए वांछित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ फॉर्म नम्बर 49–ए में वाक्पीठ आयोजन के इसी सत्र में आवेदन पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित् करें।

c) जिन विद्यालयों में वाक्पीठ आयोजन से पूर्व पेन कार्ड जारी हो चुके हैं, उन समस्त विद्यालयों में उक्त वाक्पीठ् के दौरान फॉर्म नम्बर–10'ए' में "आयकर अधिनियम–1961" की धारा–12 A (a) के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र की पूर्ति आवश्यक रूप से कर ली जावे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन हेतु S.D.M.C के कार्यकारिणी सदस्यों के पहचान साक्ष्यों व उनके पेन कार्ड की छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित की जानी है। उक्तानुसार समस्त संस्था प्रधान S.D.M.C के ऐसे समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के स्वयं प्रमाणित पहचान साक्ष्य (आई.डी. प्रूफ) तथा पेन कार्ड की दो–दो प्रतियां वाक्पीठ आयोजन दिवस को ही आवश्यक रूप से साथ लाएंगे। वाक्पीठ आयोजन के दौरान फॉर्म नम्बर–10'ए' की पूर्ति एवं जाँच पश्चात् वांछित दस्तावेजों के साथ आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर को आवश्यक रूप से इसी माह प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

d) "आयकर अधिनियम–1961" की धारा 12 A (a)के तहत रजिस्ट्रेशन के पश्चात् S.D.M.C द्वारा धारा 80 **'G'** (5)(VI) के अन्तर्गत कर मुक्त दान की पात्रता के लिए प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु फॉर्म संख्या–10 **'G'** में वाछित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों पर भी वाक्पीठ में आवश्यकतानुसार चर्चा/वार्ता आयोजित करवाई जा सकती हैं ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
7. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com